प्रेस नोट 25.04.2021

69 शीशी अवैध देशी शराब बरामद, 02 गिरफ्तार–

आज दिनांक 25.04.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा पहसा से यशवंत सिंह पुत्र स्व0 बाके बहादुर सिंह निवासी पहसा थाना हलधरपुर जनपद मऊ के कब्जे से 45 शीशी (200 एमएल) देशी शराब लैला, थाना मुहम्मदाबाद पुलिस द्वारा ढोलना तिराहे के पास से अजीत प्रजापति पुत्र अनिल प्रजापति निवासी चकबरबोझी थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ के कब्जे से 24 शीशी अवैध देशी शराब बन्टी बबली बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना सम्बन्धित पर धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

अन्तरराज्यीय गैंग आई0एस0-191 के सरगना मुख्तार अंसारी व उनके निकट सहयोगी, आनन्द यादव, बैजनाथ यादव व संजय सागर के विरूद्ध कार्यवाही-

आनन्द यादव पुत्र श्री बैजनाथ यादव साकिन सरवां थाना सरायलखन्सी मऊ व उसके पिता बैजनाथ यादव पुत्र खुद्दी यादव द्वारा मुख्तार अंसारी व संजय सागर पुत्र चन्द्रदेव निवासी सरवां, थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की सह पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके गुरू जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उ0मा0 विद्यालय सरवां के नाम पर ग्राम सरवां, थाना सरायलखन्सी, मऊ के आराजी सं0-1109 रकबा 0.064हे0 आराजी सं0-1449 रकबा 0.196हे0 पर विधायक मुख्तार अंसारी मऊ की विधायक निधि से वर्ष 2006-2007 से वर्ष 2017-2018 में 25,00,000/- (पचीस लाख रूपये) बिना विद्यालय बनवाये ही प्राप्त कर लिया गया। बैजनाथ यादव द्वारा स्वयं प्रधान रहते हुए अपनी पत्नी के नाम से अवैध तरीके से प्रस्ताव पारित कर ग्राम समाज की भूमि को कृषि हेतु आवंटन करा लिया गया।

उक्त सम्बन्ध में दिनांक 24.04.2021 को थाना सरासलखन्सी, जनपद मऊ में मु0अ0सं0-185/2021 धारा 419/420/467/468/471/120बी भा0द0वि0 बनाम 1- आनन्द यादव पुत्र बैजनाथ यादव, 2- बैजनाथ यादव पुत्र खुद्दी यादव, 3- बैजनाथ की पत्नी नाम अज्ञात, 4- संजय सागर पुत्र चन्द्रदेव समस्त निवासीगण ग्राम सरवां थाना सरायलखन्सी, जनपद मऊ व 5- मुख्तार अंसारी, सदर विधायक, जनपद मऊ पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।